न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 28/2024

1. धर्मपाल पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
2. ओमप्रकाश पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
3. सुरेश कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
4. सुखवीर पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।

-: सायलान

बनाम

1. मनफुल पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
2. सुलतान पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
3. सतवीर पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
4. सन्तो पत्नी नत्थुराम जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
5. महावीर पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
6. जयसिंह पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
7. दलीप पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
8. महावीर पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।
9. राजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति जाट निवासी भानगढ़ तहसील भादरा।

- : गैरसायलान

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द्र शर्मा- **प्रार्थी**

वकील श्री कृष्ण गर्ग - **अप्रार्थी सं0 1 ता 6, 9**

निर्णय **दिनांक :** 05.05.2026

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भानगढ़ के खाता संख्या 73 के खसरा संख्या 198/2 की 5.6910 है0 बारानी, खसरा संख्या 335 की 0.6960 है0 बारानी, खसरा संख्या 336 की 0.2650 है0 बारानी, खसरा संख्या 405 की 3.1870 है0 बारानी, खसरा संख्या 408 की 5.3370 है0 बारानी, खसरा संख्या 50 की 4.186 है0 बारानी, खसरा संख्या 51 की 1.7450 है0 बारानी कुल खसरे 7 की कुल 21.107 है0 बारानी शामिल खाता की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वर्णित वादभूमि शामिल खाता की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु सायलान व गैरसायलान संख्या 1 से 9 के दादागण उदमीराम, हरीराम, कालूराम व रामप्रसाद के मध्य वादभूमि का अच्दी मंदी के हिसाब से मीट एण्ड बाउण्ड के हिसाब से पुख्ता बंटवारा हो गया था। उक्त बंटवारा बीरबलराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी डूंगराना व रामस्वरूप पुत्र पतराम जाति जाट निवासी भानगढ़ के रौबरू हो गया था एवं इसी बंटवारा के ताबें अपने अपने हिस्से आये उन खेतों के उदमीराम, हरीराम, कालूराम व रामप्रसाद काबिज हो गए एवं इसी बंटवारा के मुताबिक आजतक पक्षकारान अपने बंटवारा की भूमि में कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनरूप पक्षकारान ने बंटवारा में आई अपनी भूमि का सुधार कर लिया। सायलान ने खसरा संख्या 405 की भूमि में राज्य सरकार ने कब्जे का भौतिक सत्यापन कर कलस्टर योजना के तहत कुण्ड स्वीकृत किया था। जिसमें कुण्ड बना हुआ है परन्तु अब गैरसायलान संख्या 1 से 9 के मन में लालच आ गया और ताकत व बल के आधार पर सायलान को 58 वर्ष पूर्व पूर्वजो के समय से बंटवारा में मिली भूमि जिसमें लाखो रूपये खर्च कर सुधार कर रखा है पर जबरिया कब्जा करने की ऐलानिया तौर पर धमकी दे रहे है। इसलिये सायलान यह घोषणा करवा पाने के कानूनी अधिकारी है कि सायलान व गैरसायलान के पूर्वजो के समय किये हुए वाद भूमि के संवत 2022 में हुऐ बंटवारे में सायलान को प्राप्त

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

खसरा संख्या 51 की 1.745 है0 भूमि व खसरा संख्या 336 की 0.265 है0 भूमि व खसरा संख्या 405 की 3.187 है0 भूमि के सायलान अर्थात उदमीराम के वारिसान अपने हिस्से के मुताबिक खातेदार काश्तकार है व इसी के अनुरूप अपने बंटवारा में प्राप्त भूमि का गैरसायलान संख्या 1 ता 9 अपने पूर्वजो के समय में हुए संवत 2022 के बंटवारा के मुताबिक ग्राम भानगढ के खसरा संख्या 50 की 4.186 है0 भूमि व खसरा संख्या 408 की 5.337 है0 भूमि व खसरा संख्या 335 की 0.6960 है0 भूमि खसरा संख्या 198/2 की 5.691 है0 भूमि उन्हे वाहमी बंटवारा में संयुक्त रूप से अपने हिस्से के मुताबिक प्राप्त हुई ओर इसी बंटवारा में प्राप्त हुई भूमि का खाता लगान सायलान से अलग करवा पाने के कानूनी हकदार है तथा सायलान गैरसायलान संख्या 1 से 9 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का कानूनन अधिकारी है।

अतः सायलान के कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 51 की 1.745 है0 भूमि व खसरा संख्या 336 की 0.265 है0 भूमि व खसरा संख्या 405 की 3.187 है0 भूमि में गैरसायलान ताकत व बल के आधार पर सायलान के कब्जा काश्त में बाधा व दलख न पहुंचावे व उक्त खसरो की भूमि पर काबिज न होवे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायलान सं0 1 ता 6, 9 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि सायलान का संवत 2022 में अच्दी–मंदी के हिसाब से बाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड पुख्ता बंटवारा नही हुआ है। सायलान ने संवत् 2022 का काल्पनिक बंटवारा बताकर उसे कन्फर्म करवाना चाहा है जबकि उन्होने तीन खसरो का बंटवारा होना अपने दावे में दर्ज किया है जो केवल समतल भूमि के निश्बत है जबकि संयुक्त खाता की 7 खसरो में खातेदारी है ओर उक्त तीन खसरों के अलावा शेष खसरों की खातेदारी दोयम दर्जा की व रेतीली है, कम उपजाउ है तथा कलस्टर स्कीम के तहत बनाया 405 वाला कुण्ड सभी खातेदारों की सहमति से बनाया गया क्योकि खसरा संख्या 405 की भूमि समतल व ताली की है इसलिए वर्षा का पानी उसमें इक्ट्ठा हो सकता था इसलिए सभी ने खसरा संख्या 405 में कुण्ड बनाने की सहमती दी ताकि सभी हिस्सेदार उसमे पानी पी सके। यदि बंटवारा होता तो उक्त खसरो का भी बंटवारा होता इसलिए ऐसे काल्पनिक बंटवारा को किसी भी तरह से कानून सम्मत नही कहा जा सकता जबकि काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद कोई भी बंटवारा भूमिधारी जो राज्य का प्रधिनिधि तहसीलदार होता है आवश्यक पार्टी था उसके समक्ष कोई बंटवारा नही हुआ इसलिए बंटवारा होने की दलील फर्जी व बनावटी है। सायलान व गैरसायलान वाद भूमि के कोटिनेन्ट है और काश्तकारी अधिनियम के ताबे प्रत्येक कोटिनेन्ट का प्रत्येक इंच पर कानूनी कब्जा माना जाता है ऐसे में एक कोटिनेन्ट दूसरे कोटिनेन्ट के विरूद्व किसी खसरा विशेष की भूमि पर कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का मजाज नही है इसलिए सायलान की दरख्वास्त काबिल खारिजी के है। अतः दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त वर्णित वादभूमि शामिल खाता की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु सायलान व गैरसायलान संख्या 1 से 9 के दादागण उदमीराम, हरीराम, कालूराम व रामप्रसाद के मध्य वादभूमि का अच्दी मंदी व मीट एण्ड बाउण्ड के हिसाब से पुख्ता बंटवारा हो गया था एवं इसी बंटवारा के ताबें अपने अपने हिस्से आये उन खेतों के उदमीराम, हरीराम, कालूराम व रामप्रसाद काबिज हो गए एवं इसी बंटवारा के मुताबिक आजतक पक्षकारान अपने बंटवारा की भूमि में कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनरूप पक्षकारान ने बंटवारा में आई अपनी भूमि का सुधार कर लिया। सायलान ने खसरा संख्या 405 की भूमि में राज्य सरकार ने कब्जे का भौतिक सत्यापन कर कलस्टर योजना के तहत कुण्ड स्वीकृत किया था। जिसमें कुण्ड बना हुआ है परन्तु अब गैरसायलान संख्या 1 से 9 के मन में लालच आ गया और ताकत व बल के आधार पर सायलान को 58 वर्ष पूर्व पूर्वजो के समय से बंटवारा में मिली भूमि जिसमें लाखो रूपये खर्च कर सुधार कर रखा है पर जबरिया कब्जा करने की ऐलानिया तौर पर धमकी दे रहे है। इसलिये सायलान गैरसायलान संख्या 1 से 9 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर ...)भादरा

पाबंद करवा पाने का कानूनन अधिकारी है। वकील गैरसायलान ने बहस के दोरान कथन किया कि सायलान का संवत 2022 में अच्दी–मंदी के हिसाब से बाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड पुख्ता बंटवारा नही हुआ है। सायलान ने संवत् 2022 का काल्पनिक बंटवारा बताकर उसे कन्फर्म करवाना चाहा है जबकि उन्होने तीन खसरो का बंटवारा होना अपने दावे में दर्ज किया है जो केवल समतल भूमि के निश्बत है जबकि संयुक्त खाता की 7 खसरो में खातेदारी है ओर उक्त तीन खसरों के अलावा शेष खसरों की खातेदारी दोयम दर्जा की व रेतीली है कम उपजाउ है तथा कलस्टर स्कीम के तहत बनाया खसरा संख्या 405 वाला कुण्ड सभी खातेदारों की सहमति से बनाया गया क्योकि खसरा संख्या 405 की भूमि समतल व तालीं की है इसलिए वर्षा का पानी उसमें इक्ट्ठा हो सकता था इसलिए सभी ने खसरा संख्या 405 में कुण्ड बनाने की सहमती दी ताकि सभी हिस्सेदार उसमे पानी पी सके। यदि बंटवारा होता तो उक्त खसरो का भी बंटवारा होता इसलिए ऐसे काल्पनिक बंटवारा को किसी भी तरह से कानून सम्मत नही कहा जा सकता जबकि काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद कोई भी बंटवारा भूमिधारी जो राज्य का प्रधिनिधि तहसीलदार होता है आवश्यक पार्टी था उसके समक्ष कोई बंटवारा नही हुआ इसलिए बंटवारा होने की दलील फर्जी व बनावटी है। सायलान व गैरसायलान वाद भूमि के कोटिनेन्ट है और काश्तकारी अधिनियम के ताबे प्रत्येक कोटिनेन्ट का प्रत्येक इंच पर कानूनी कब्जा माना जाता है। ऐसे में एक कोटिनेन्ट दूसरे कोटिनेन्ट के विरूद्व किसी खसरा विशेष की भूमि पर कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का मजाज नही है इसलिए सायलान की दरख्वास्त काबिल खारिजी के है। अतः दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिऐ अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया है एवं प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति पर विचार करना है :–

1 **प्रथम दृष्टया मामला**:–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है। चूंकि प्रार्थी का अर्जीदावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें वर्तमान राजस्व रिकार्ड जो पत्रावली में सलंग्न है जिसमें गैरसायलान सहखातेदार है। सायलान ने संवत् 2022 का बंटवारा बताकर उसे कन्फर्म करवाना चाहा है जबकि उन्होने तीन खसरो का बंटवारा होना अपने दावे में दर्ज किया है यदि बंटवारा होता तो उक्त समसत खसरो का भी बंटवारा होता इसलिए ऐसे बंटवारा को किसी भी तरह से कानून सम्मत नही कहा जा सकता तथा सहखातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भाग पर अधिकार होता है ऐसी स्थिति में सह खातेदार को पाबन्द नहीं किया जा सकता। सायलान ने गैरसायलान के खिलाफ दावा में घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है। केवल खाता विभाजन के दावा में सह–खातेदार के खिलाफ विशेष खसरों पर निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। ऐसे में निषेधाज्ञा की बाबत सायलान का वाद पत्र प्रथम दृष्टया साबित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला सायलान के खिलाफ व गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

2 **सुविधा का संतुलन**:– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो सायलान को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया गैरसायलान के पक्ष में साबित हो चुका है गैरसायल ान जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हासिल है। कानूनन सह खातेदार काश्तकार के खिलाफ बिना किसी घोषणा के दावा के किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। इस प्रकार सुविधा का

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

संतुलन बिन्दू भी सायलान के खिलाफ प्रतीत होता है जबकि गैरसायलान के पक्ष में साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों गैरसायलान के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि सायलान का उक्त वादभूमि में लगान व खाता अलग से कायम नहीं है यदि उक्त प्रकरण में गैरसायलान जो कि वादभूमि का खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी खातेदारी का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हासिल है यदि गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति हो सकती है। विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि सह खातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक भू भाग पर अधिकार होता है, क्योंकि संयुक्त भूमि पर सभी सह खातेदारों का बराबर का हक व हिस्सा निहित होता है। ऐसी स्थिति में सह खातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता है गैरसायलान रिकार्डेड टिनेन्ट खातेदार काश्तकार है व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति गैरसायलान के पक्ष में है। इसलिये रिकार्डेड खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायलान का प्रार्थना–पत्र के तीनों बिन्दू कमशः प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति सायलान के विरूद्व व गैरसायलान के पक्ष में साबित होना पाया जाता है। उपरोक्त तीनों बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र सायलान खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि उड़सरिया) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़